भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-257/2006

अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल सत्तार उर्फ नूर जाति मुसलमान पीरजादा निवासी मौहल्ला जमीदारान वार्ड नं0-3 सीकर तहसील जिला सीकर हाल 14 नूर मौ0 मिस्त्री चाल मोगरा पाड़ा अन्धेरी ईस्ट मुम्बई---

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- सुलतानुल आरफीन उर्फ ताजी पुत्र अब्दुल हक जाति मुसलमान निवासी सीकर ।

2- सुलतानुल आसकीन पुत्र अब्दुल हक जाति मुसलमान पीरजादा निवासी वार्ड नं0-3 नया सीकर ।

3- दरगाह पीरजी कस्बा सीकर जरिये वक्फ बोर्ड राज0 मुस्लिम वक्फ जौहरी चौक जयपुर ।

4- तहसीलदार सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस---

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 29-9-2001 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी, सीकर ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री शिवकुमार शर्मा एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री जसवन्तसिंह भूरिया एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 21.6.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-। व 2 ने अदालत मातहत में दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती रेकार्ड का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ब0नं0 61 रकबा 2.55 हैक्टर वाके कस्बा सीकर तहसील वादीगण के कब्जा काश्त हक अधिकार व स्वामित्व की है जिसके एक मात्र खातेदार काश्तकार वादीगण है ।उक्त आराजी के पुराने ब0नं0 22 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा थे जो राजस्थान काश्तकारी अधि--नियम प्रभाव में आया उससे पूर्व से ही वादीगण के पिता दादा के नाम से रही है । वादीगण के दादा व पिता अपने नाम के आगे पीर लगाते है। वादीगण की उक्त आराजी को सैटलमेन्ट विभाग ने बिना किसी अधिकार के दरगाह पीरजी सीकर के नाम दर्ज कर दी गई जो शुरू से ही गलत है। सैटलमेन्ट विभाग को पूर्व जमाबन्दी के इन्द्राज को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था । उक्त आराजी कभी भी किसी दरगाह की सम्पत्ति नहीं रही है । बल्कि उक्त आराजी वादीगण के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की रही है ।इस गलत राजस्व रेकार्ड की जानकारी होने पर यह दावा जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया है । अतः वादीगण का दावा स्वीकार कर उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड से दरगाह पीरजी सा0 देह: को हटाया जावे ।अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादीगण का दावा स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । रेस्पोडेन्ट संख्या-। व2 के पिता अब्दूल हक थे । इनके पांच पुत्र अब्दूल सत्तार(पिता अपीलान्ट), मोहम्मद साबीर, निसार अहमद व रेस्पोडेन्ट संख्या-। व 2 हुए । इनमें अपीलान्ट के पिता का देहान्त हो गया । उक्त आराजी का पहले खातेदार काश्तकार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0-। व 2 के पूर्वज स्व0 अलीबक्स थे जिनका देहान्त हो गया ।स्व0 अलीबक्स के

वारिसान को उक्त मद सं0-3 में दर्ज किया है । जिनको रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 ने दावे में जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है यह दावा आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार संयोजित नहीं कर दावा गुपचुप में डिक्री करवाया है। रेस्पोडेन्ट ने जो दस्तावेज दावे में पेश किये है उनमें स्पष्ट है कि उक्त आराजी की खातेदारी पीर अलीबक्स के नाम दर्ज रही है बाद में अपीलाट के दादा अब्दूल हक के नाम दर्ज हुई है। परन्तु अदालत मातहत ने इन दस्ता--वेजो की अनदेखी कर आदेश पारित किया है । विवादित आराजी मे अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा, मो0 सबीर को 1/5 हिस्सा, निसार अहमद 1/5 हिस्सा तथा 2/5 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 का रहा है । किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 ने यह दावा बदनियती से उक्त हिस्सेदारो को बिना पक्षकार बनाये दावा पेश कर व अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये दावा डिक्री करवा लिया । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 ने जो जमाबन्दी पेश की है उसमे यह आराजी दरगाह पीरजी की है और जहा पर दरगाह की आराजी दर्ज हो जाती है वह आराजी/सम्पत्ति वक्फ की सम्पत्ति हो जाती है और वक्फ की सम्पत्ति को निरस्त कराने का दावा केवल सिविल न्यायालय मे ही किया जा सकता है ।अदालत मातहत ने यह आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है ।अदालत मातहत के क्षेत्राधिकार में नहीं होते हुये भी अदालत मातहत ने अपना आदेश क्षेत्रा--धिकार के बाहर जाकर आदेश पारित किया है ।अदालत मातहत मे अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया जिससे अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी तब हुई जब वह मुम्बई से अपने रिश्ते में भाई फजलू रहमान का देहान्त होने पर लौकर आया और विवादित आराजी को सम्भालने गया तो रेस्पोडेन्ट ने धमकी दी की इस आराजी की डिक्री न्यायालय से हमारे पक्ष में हो गई इसे हम विक्रय करेगें । तब अपीलान्ट ने आदेश की नकल लेकर यह अपील अन्दर मियाद दफा-5 के साथ तथा धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश की है । अपील स्वीकार की जावे ।

तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे तथा अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर देते हुये सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर निर्णय करने के निर्देश दिये जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई ।बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । सर्व प्रथम अपीलान्ट ने यह अपील लगभग 5 वर्ष ढाई माह बाद पेश की है जबकि यह अपील अपीलान्ट ने अपने आपको रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 के पिता अब्दूल हक के पोत्र बताया जो अब्दूल सतार के पुत्र दर्ज किया है । अर्थात अपीलान्ट के कथनों के अनुसार एक ही खानदान के वारिस बताया है ।इसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय की जानकरी सवा पांच वर्ष तक नही होना अपने आप में सन्देह पैदा करता है ।क्यूकि अपीलान्ट अपने आपको रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 के भाई का लडका माना है। किन्तु प्रकरण का निस्तारण किसी कानूनी बिन्दू पर न कर गुणावगुण पर किया जाना उचित मानते है अत: अपीलान्ट में हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।अदालत मातहत ने राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने पर जमाबन्दी सम्वत 2041 से 2060 में विवादित आरा-जी दरगाह पीरजी सा0 देह खातेदार व्यवस्थापक सुलतानुल आरफीन उर्फ नाजीव सुलतानुल आरफी पुत्र पीर अब्दूल दर्ज है तथा जमाबन्दी सं0- 2014 से 2017, 2018 से 2021 में भोलाबक्स वल्द अब्दूल आदि पीरजादा अंकित है।तथा जमाबन्दी सं0- 2053 से 2056 व 2057 से 2060 में दरगाह पीरजी व्यवस्थापक सुलतानुल व आरफीन उर्फ मजिद सुलतानुल आरफी पुत्र अब्दूल हक के नाम से राजस्व रेकार्ड दर्ज रहा है ।अदालत मातहत ने प्रस्तुत समस्त राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया है जिसमे वादीगण/रेस्पोडेन्ट स0-1 व

2 एवं उसके पूर्वज के नाम आराजी की खातेदारी दर्ज रही है । सैटलमेन्ट विभाग ने बिना किसी आधार के उक्त आराजी को वादीगण के नाम से पहले दरगाह दर्ज कर दिया । जिसको अदालत मातहत ने वादीगण की छछ साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करते हुये अपना निर्णय दिया है। जिसमें अपीलान्ट के अलावा केवल रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 के नाम से ही खातेदारी दर्ज रही है । अपीलान्ट के पिता के नाम से कोई खातेदारी नहीं रही है ।अपीलान्ट के पिता ने भी अपने जीवनकाल में इसे चुनौती नहीं छछ दी है ।इस कारण अब अपीलान्ट ने यह अपील धारा-96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है जिससे अब अपीलान्ट का कोई हित साबित नहीं होता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय एव डिक्री दिनांक 29-9-2001 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 21.6.2018 को सुनाया गया ।

21/6/18

(अधिरलाल भेहरडा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर